06.09.2019

परिवादी पुनम कुमारी, उपस्थित हैं।

परिवादी को सुना।

प्रस्तुत मामला भारत सरकार के उपक्रम, ओरियण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, की रोसड़ा (वर्तमान में जन्दाहा) शाखा के वरिष्ठ प्रबंधक, परिवादी (पुनम कुमारी) द्वारा अपने वरीय पदाधिकारियों के विरूद्ध उसे प्रताड़ित करने से संबंधित है। अपने परिवाद–पत्र में उनके द्वारा ओरियण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, पटना के मंडल कार्यालय में पदस्थापित तत्कालीन प्रबंधक स्तर के कई प्रबंधकों के विरूद्ध स्पष्ट आरोप लगाये गये है तथा अपने आरोपों के समर्थन में परिवादी की ओर से परिवाद–पत्र के साथ कई कागजात भी अनुलग्नित किया गया है।

परिवादी के उपरोक्त आशय के परिवाद पर ओरियण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स के मंडल कार्यालय, पटना से प्रतिवेदन की मांग की गयी। ओरियण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स के मंडल अध्यक्ष द्वारा आयोग को प्रतिवेदित किया गया है कि परिवादी द्वारा बैंक की प्रशासनिक व्यवस्था के विपरीत अपने पसंदीदा स्थान पर स्थानान्तरण करने के लिए बैंक के प्रबंधक पर दवाब बनाने के विशेष उद्देश्य के साथ आयोग में प्रसंगााधीन परिवाद दाखिल किया गया है। मंडल अध्यक्ष द्वारा कंडिकावार परिवादी के परिवाद–पत्र में ओरियण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स के तत्कालीन प्रबंधकों के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को तथ्यों के साथ अस्वीकार किया गया है तथा उनका कथन है कि परिवादी द्वारा लगाये गये सभी आरोपों की बैंकिंग नियमानुसार जांच करवाई गयी तथा सभी आरोपों को निराधार व गलत पाया गया। उनका यह भी कथन है कि परिवादी द्वारा अपने परिवाद–पत्र में तेरह प्रबंधकों के विरूद्ध स्पष्ट शिकायत की गयी है। उनका कथन है कि आखिर विभिन्न कालों में पदस्थापित तेरह प्रबंधकों से परिवादी की शिकायत रहने का कोई युक्तिसंगत कारण नहीं हो सकता है। मंडल अध्यक्ष का यह भी कथन है कि परिवादी का रोसड़ा स्थानान्तरण होने के उपरान्त परिवादी के प्रार्थना पर उनके बच्चों की शिक्षा में व्यवधान न पड़ने देने के उद्देश्य से परिवादी को पटना में ही आवास रखने की सुविधा प्रदान की गयी। मंडल अध्यक्ष द्वारा अपने प्रतिवेदन में यह भी उल्लिखित किया गया है कि परिवादी द्वारा प्रबंधक वर्ग पर आरोप इस आधार पर लगाया गया है कि प्रबंधक उनके द्वारा की गयी शिकायतों में उलझकर रह जाय और परिवादी को अपनी मनमानी तथा अनुशासनहीनता करने का मौका मिलता रहे।

ओरियण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स के मंडल अध्यक्ष के उपरोक्त आशय के प्रतिवेदन पर परिवादी से प्रत्युत्तर की मांग की गयी। अपने प्रत्युत्तर में परिवादी द्वारा उक्त प्रतिवेदन को अस्वीकार करने का अनुरोध किया गया है। परिवादी द्वारा अपने व अपने पति (जो

ओरियण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स में ही पदस्थापित हैं) के साथ बैंक के प्रबंधकों द्वारा प्रताड़ित करने की बात को पुनः दोहराया गया है। आज सुनवाई के क्रम में परिवादी का कथन है कि उसकी ओर से आयोग में जो परिवाद–पत्र दाखिल किया गया था, उक्त परिवाद–पत्र की एक प्रति को उसके द्वारा ओरियण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स के गुड़गांव स्थित कॉरपोरेट कार्यालय को भी भेजा गया था। उक्त के आलोक में कॉरपोरेट ऑफिस द्वारा भी मामले की जांच कर जांच–प्रतिवेदन कॉरपोरेट ऑफिस के महाप्रबंधक को समर्पित किया गया है। परिवादी का यह भी कथन है कि उसके ओरियण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, रोसड़ा शाखा में पदस्थापन अवधि में उसे स्थानीय, उससे वरीय, बैंक प्रबंधक द्वारा उसके साथ किये गये तथाकथित दुर्व्यवहार को लेकर उसने राज्य महिला आयोग, पटना में भी आवेदन दिया है। हालांकि, परिवादी ने यह स्वीकार किया है कि बैंक द्वारा उसके आरोपों को नियमानुसार महिला पदाधिकारियों से जांच करवायी गई, परन्तु किसी ने उसके आरोप का समर्थन नहीं किया।

प्रस्तुत मामला भारत सरकार के उपक्रम, बैंकिंग संस्थान, से संबंधित है। बैंकिंग का विषय भारत के संविधान के 7वीं अनुसूची के सूची–1 में दिया गया है, जिसका क्षेत्राधिकार राज्य मानवाधिकार आयोग को प्राप्त नहीं है।

वैसे भी उभय पक्ष के अभिवचनों के अवलोकन से प्रस्तुत मामला एक अधीनस्थ पदाधिकारी का अपने वरीय पदाधिकारियों के विरूद्ध सेवा–विषय पर मनमाफिक अनुतोष नहीं मिलने के आधार पर दाखिल किया गया प्रतीत होता है। प्रस्तुत मामले में यह एक स्वीकृत तथ्य है कि परिवादी ने जो भी आरोप संबंधित बैंक के कर्मियों के विरूद्ध लगाया है, उस पर परिवादी को अपना पक्ष रखने का युक्तिसंगत समय जांच पदाधिकारी द्वारा दिया गया है तथा बैंक के नियम के अनुसार उसके आरोपों की जांच भी की गयी है। जहां तक परिवादी के स्थानान्तरण का प्रश्न है, स्थानान्तरण का विषय मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में नहीं आता है।

अतः उपरोक्त परिस्थिति में प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में न पाकर इसे बंद किया जाता है।

तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)

कार्यकारी अध्यक्ष

सहायक निबंधक